Regarding Compensation for Land of Farmers

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : सभापति महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर में लुम्बनी से लेकर बनारस तक एनएच 233 हाइवे बना है । उसमें तमाम गांवों किसानों की जमीन ली गई है । आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर में करीब 43 गांवों की जमीन ली गई है, जिसमें 31 ग्रामों के किसानों के प्रत्येक गाटे में से जो सड़क के किनारे थे, 0.051 हेक्टेयर आवासीय या अकृषक मान कर मुआवजा दिया गया है । जबकि उसी क्षेत्र के 12 गांवों में अकृषक न मान कर सामान्य कृषि रेट से उनको मुआवजा दिया जा रहा है, जिसके कारण वहां के किसान छ: महीने से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं । इसलिए मैं इस मांग को आपके सामने उठाते हुए, इस सरकार से मांग करता हूं कि एनएचआई में ली जाने वाली जमीन, जो सड़क के किनारे की जमीन है, प्रत्येक गाटे के 0.051 हेक्टेयर के आवासीय प्रतिकर के दर से मुआवजा दिया जाए, यह उनकी जायज मांग है । इसको माना जाए ।

आज मैं इस सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं ।